छात्र संघ चुनाव सत्र 2007–08

आचार संहिता

छात्रसंघ के इस शैक्षणिक सत्र 2007–08 के चुनाव में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थी निम्नलिखित आचरण संहिता का पालन करेंगे। इसका उल्लंघन होने पर प्रत्याशियों का चुनाव निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य/शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को होगा।

सत्र 2007–08 के निर्वाचन के लिये आदर्श आचरण संहिता निम्नानुसार है :–

(1) **निर्वाचन संबंधित व्यय तथा वित्तीय जिम्मेदारी**

1.1 प्रति प्रत्याशी अधिकतम स्वीकृत व्यय रूपये 5,000/– होगी।

1.2 प्रत्येक प्रत्याशी परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह में पूर्ण सत्यापित लेखा जोखा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा। लेखा एवं उससे संलग्न व्हाउचर्स का प्रत्याशी स्वयं सत्यापन करेगा। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय इसके प्राप्त होने के दो दिनों में इसे उचित माध्यम से प्रकाशित करेगा। विद्यार्थी इकाई का कोई भी सदस्य इसका स्वतंत्रता पूर्वक परीक्षण कर सकेगा।

1.3 सीमा से अधिक व्यय या नियमों के पालन न करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जावेगा।

1.4 छात्र संघ निर्वाचन की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से प्राप्त हो सकने वाले फण्ड को रोकने की दृष्टि से प्रत्याशियों को विशेष रूप से स्वेच्छिक दान किसी भी संस्था या विद्यार्थी इकाई से प्राप्त करने पर बंदिश रहेगी।

(2) कोई भी प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगा जिससे कोई मतभेद पैदा हो, या आपसी विद्वेष पैदा करें, या विभिन्न जातियों, समुदायों–वर्गों (धार्मिक और भाषायी) या विद्यार्थियों के समूहों में तनाव उत्पन्न करें।

(3) जब भी अन्य प्रत्याशियों की आलोचना की जाये, तब नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व रिकार्ड–तथा कार्यो को ही ध्यान में रखा जाये। प्रत्याशी व्यक्तिगत जीवन

(जो सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित न हो), की आलोचना नहीं करेंगे। अन्य प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों पर बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाने से अथवा छबि बिगाड़ने से स्वयं को दूर रखेंगे।

(4) जाति तथा सामुदायिक आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकेंगे, केम्पस में प्रार्थना स्थल को निर्वाचन के प्रचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा।

(5) समस्त प्रत्याशी ऐसे कार्यकलापों का निषेध करेंगे जो भ्रष्ट आचरण, व्यवहार मे सम्मिलित हों, जैसे मतदाता को लालच देना, उन्हें धमकाना, प्रचार करते समय इम्परसोनेशन, प्रचार इत्यादि। मतदान के दिन मतदान स्थल से 100 मी. के घेरे में प्रचार नहीं कर सकेंगे तथा निर्वाचन समाप्ति के समय 24 घंटे पूर्व जनसभायें नही कर सकेंगे। तथा न ही मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने व ले जाने के लिये वाहन व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे।

(6) किसी भी प्रत्याशी द्वारा छपे हुए पोस्टर्स, छपे पेम्पलेट या छपी सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग नहीं किया जावेगा। सिर्फ हाथ से बनाये गये पोस्टर का प्रयोग किया जा सकेगा जो कि व्यय की सीमा में हो।

(7) परिसर में चयनित/निर्धारित स्थानों पर, हाथ से बनायी प्रचार सामग्री का ही प्रत्याशी उपयोग कर सकेंगे जिसकी सूचना पूर्व में ही निर्वाचन समिति/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को दी जावेगी।

(8) किसी भी प्रत्याशी को जुलूस या जनसभा नहीं करने दी जायेगी। तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के परिसर के बाहर चुनाव प्रचार या प्रोपेगेंडा नहीं करने दिया जायेगा।

(9) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अधिकारियों से लिखित अनुमति के बिना कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का कोई उपयोग नहीं करेगा और किसी भी प्रकार से न तो खराब करेगा और न ही नुकसान पहुंचायेगा। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय भवन एव परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी समस्त विद्यार्थियों की सम्मिलित रूप से मानी जावेगी तथा वे इसके लिये जिम्मेदार होंगे।

(10) निर्वाचन अवधि में प्रत्याशी अनुमति प्राप्त कर जुलूस निकाल सकेंगे, जनसभा कर सकेंगे अनुमति देते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी रूप में कक्षा तथा अन्य अकादमिक/पाठयेत्तर गतिविधियाँ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रभावित न हो। साथ ही ऐसे जुलूस, जनसभायें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अधिकारियों की लिखित स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी।

(11) प्रचार के लिये लाउडस्पीकर, वाहन तथा पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

(12) निर्वाचन के दिन विद्यार्थी संगठन तथा प्रत्याशी :–

12.1 निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे, ताकि शांतिपूर्वक विधिक रूप से मतदान हो सके, एवं मतदाताओं को उनके प्रतिनिधि चुनने में बिना किसी दिक्कत या बाधा के चुनाव हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो।

12.2 किसी प्रकार की खाद्य सामग्री का वितरण न किया जाये या अन्य ठोस या तरल सामग्री न दी जाये चुनाव के दिन सिर्फ पेयजल को छोड़कर और कुछ न भी वितरित न किया जाये।

12.3 चुनाव की तिथि पर किसी प्रकार का प्रचार न किया जाये।

(13) मतदाताओं को छोड़कर चुनाव आयोग, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अधिकारी से प्राप्त परिचय पत्र/अनुमति पत्र के बिना कोई भी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा।

(14) निर्वाचन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिये महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अधिकारी/चुनाव आयोग निरपेक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा। डीम्ड विश्वविद्यालय तथा स्ववित्तीय संस्थाओं में शासन, शासकीय सेवकों को प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगा। चुनाव के संबंध में यदि प्रत्याशियों को विशेष शिकायत या समस्या है तो वे इसे पर्यवेक्षक की निगाह में लायेंगे। पर्यवेक्षक की नियुक्ति संस्थाओं में विद्यार्थियों के नामांकनों को देखने के लिये भी की जावेगी।

(15) समस्त प्रत्याशी चुनाव क्षेत्र को निर्वाचन के 48 घंटे बाद स्वच्छ रखने के लिये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे।

(16) उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा या उनके निर्वाचित पद से हटा दिया जावेगा। जैसी भी स्थिति हो। निर्वाचन

आयोग / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय प्राधिकारी ऐसे प्रत्याशियों के विरूद्व उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही कर सकेंगे।

(17) उपर्युक्त आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड विधान 1860 के संबंधित प्रावधानों भाग 153 ए तथा अध्याय 9 (निर्वाचन से संबंधित दण्ड को) विद्यार्थी निर्वाचन से सम्बद्ध किया जावेगा।

आयु सीमा का बंधन

अध्यादेश क्रमांक–1 के अतिरिक्त प्रत्याशियों पर आयुसीमा का बंधन भी लागू होगा। लिंगदोह समिति की अनुशंसा के अनुरूप चुनाव में उम्मीदवार की आयु स्नातक छात्रों हेतु 17 से 22 वर्ष के बीच होना चाहिये तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिये 24 से 25 एवं शोध छात्रों के लिये 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। आयुसीमा का यह बंधन छात्र–छात्राओं पर समान रूप से लागू रहेगा।

चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार द्वारा निर्धारित व्यय राशि का लेखा प्रारूपः

महाविद्यालय का नाम :
उम्मीदवार का नाम :
कक्षा :
पद :

क्र.	राशि प्राप्ति का स्त्रोत, व्यक्ति का नाम एवं पता	चैक क्रमांक एवं दिनांक अथवा राशि प्राप्त करने की रसीद का क्रमांक एवं दिनांक	प्राप्त राशि

क्र.	मद का नाम	व्यय की गई राशि	बिल क्र.एवं दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त राशि मेरे द्वारा निर्धारित सीमा में व्यय की गई है। तथा दिया गया विवरण वास्तविक एवं सत्य है।

व्यय की गई राशि एवं स्वयं सत्यापित लेखा में दी गई जानकारी पर किसी प्रकार की आपत्ति आने पर मेरा स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।

नाम –
हस्ताक्षरः
दिनांक :